ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया|

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती अंजना कुमारी	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राकेश कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मोमन्यार के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण आये अन्तर बारे|	3.17

2)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष		18.62
3)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष		0.51
4)	7.2	दुकानों के किराये की वसूली हेतु शेष		0.08
5)	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना		0.04
6)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना		0.19
7)	8.2	दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित करने के कारण अधिक / अनियमित भुगतान करने बारे	0.05
8)	8.3	स्वः स्त्रोत निधि से अधिक / अनियमित भुगतान करना		0.01
9)	9	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना।	0.21
10)	10	व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।	12.81

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016 तक

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**		
1.	पैरा-6	अनिर्णीत		
2.	पैरा-7	अनिर्णीत		
3.	पैरा-10	अनिर्णीत		
4.	पैरा-11 (क व ख)	अनिर्णीत		
5.	पैरा-13	अनिर्णीत		
6.	पैरा-14	अनिर्णीत		
7.	पैरा-15	अनिर्णीत		
8.	पैरा-16	अनिर्णीत		
9.	पैरा-17	अनिर्णीत		
10.	पैरा-18	अनिर्णीत		
11.	पैरा-19	अनिर्णीत		

2) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 03/2023 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत।	(अंकेक्षण शुल्क ₹8000 की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 281083 दिनांक 16.01.2024 द्वारा कर ली गई है)
2.	पैरा-4.1	निर्णीत।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3.	पैरा-4.2	निर्णीत।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
4.	पैरा-4.3	निर्णीत।	अनुपालना की पुष्टि उपरांत।
5.	पैरा-4.4	निर्णीत।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
6.	पैरा-4.5	अनिर्णीत।	
7.	पैरा-5	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 में पुन: प्रारूपित।
8.	पैरा-6.1	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुन: प्रारूपित।
9.	पैरा-6.2	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-6.3	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-7.1 (क)	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.1 में पुन: प्रारूपित।
12.	पैरा-7.1 (ख)	अनिर्णीत।	
13.	पैरा-7.2	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.2 में पुन: प्रारूपित।
14.	पैरा-7.3	अनिर्णीत।	
15.	पैरा-7.4	अनिर्णीत।	
16.	पैरा-7.5	अनिर्णीत।	
17.	पैरा-8.1	अनिर्णीत।	
18.	पैरा-8.2	अनिर्णीत।	
19.	पैरा-8.3	अनिर्णीत।	
20.	पैरा-8.4	निर्णीत।	अनुपालना की पुष्टि उपरांत।
21.	पैरा-9.1	अनिर्णीत।	
22.	पैरा-9.2	निर्णीत।	अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली की पुष्टि उपरांत।
23.	पैरा-9.3	निर्णीत।	अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली की पुष्टि उपरांत।

24.	पैरा-9.4	अनिर्णीत |	
25.	पैरा-10	निर्णीत |	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित |
26.	पैरा-11	निर्णीत |	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 12 में पुन: प्रारूपित |

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 04/09/2025 से 09/09/2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	11/2024	05/2024

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 601/2025 दिनांक 09/09/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित बंगाणा के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 281190 दिनांक

11/09/2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4.1 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत मोमन्यार द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 575/2025 दिनांक 06/09/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान दो रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (14वां व 15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही) Online व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति (14वां व 15वां वित्तायोग सहित समेकित)						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2024-25	3868003.06	7490865	11358868.06	6188253	5170615.06

नोट:- 14वें व 15वें वित्तायोग शीर्ष के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक का अंकेक्षण, ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया गया है, जिससे सम्बन्धित अंकेक्षण आपत्तियां भी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है |

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मोमन्यार के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में **₹162687.00** का अन्तर था :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	5170615.06
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1 अनुसार)**	**5007254.06**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	674.00
4)	**योग (2+3)**	**5007928.06**
5)	**अन्तर (1-4)**	**162687.00**
रोकड़ बहियों व बैंक शेष अनुसार अंतर		
स्व: स्त्रोत व अनुदान (14वें व 15वें वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त (समेकित) रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		316590.54

14वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर	8248.46
15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर	162152.00
कुल अंतर (316590.54+8248.46-162152)	**162687.00**

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹3.17 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.25 को **निम्न विवरणानुसार** शीर्षों की रोकड बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹316590.54** का अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 578/2025 दिनांक 06/09/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 09/09/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अत: उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

1	2	3	4	5
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाइन रोकड़ बही का अन्तशेष**	**दिनांक 31.03.2025 को बैंक व हस्तगत शेष का योग**	**अन्तर (3-4)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (14वां व 15वां वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त समेकित)	1862008.6	1545418.06	316590.54

4.3 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्त्रोतों के लेन देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य

निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 575/2025 दिनांक 06/09/2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 09/09/2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹18.62 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 575/2025 दिनांक 06/09/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **[परिशिष्ट क 1(a)]** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान (14वें व 15वें वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त) में स्वः स्त्रोत सहित प्राप्त राशियों में **₹1862008.6** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा

सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 575/2025 दिनांक 06/09/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या शून्य दिनांक 09/09/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 575/2025 दिनांक 06/09/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 09/09/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है । यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता । अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.51 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 575/2025 दिनांक 06/09/2025 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 09/09/2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹51160 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	38080	13120	51200	40	51160

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 ₹0.08 लाख की दुकानों के किराये की वसूली हेतु शेष:-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 575/2025 दिनांक 06/09/2025 के प्रत्युत्तर में यथा (**परिशिष्ट - ग)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2025 तक दुकानों के किराये के रूप में **₹8400** वसूली हेतू शेष थी |

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	0	18000	18000	9600	8400

अतः दुकान किराये की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹4000 सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार** वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024-25	4000

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 580/2025 दिनांक 06/09/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 09/09/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.4 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200/- की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹200** प्रति पंजिकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट "घ" में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹200** की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2024-25	200

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या संख्या 581/2025 दिनांक 06/09/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 09/09/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके राशि को दिनांक 11/09/2025 को बैंक में जमा करवा दिया गया है व जिसे राजकीय कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा

दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.19 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा माह 05/2024 में **निम्न विवरणानुसार ₹19260.00** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 587/2025 दिनांक 08/09/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 09/09/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितताओं को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। अत: पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	मनरेगा	शून्य	1652 10.10.23	Kulwant Enterprises Vill. Boul	Steel, Pvc	10858
2	मनरेगा	शून्य	1650 12.01.24	Kulwant Enterprises Vill. Boul	Steel, Pvc	3800
3	मनरेगा	शून्य	1655 12.01.24	Kulwant Enterprises Vill. Boul	Steel, Pvc	4602
					योग	**19260**

8.2 दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित करने के कारण ₹0.05 लाख का अधिक / अनियमित भुगतान करने बारे :-

निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या PCH(1)5/2009-II-Instructions-67441-532 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार स्पष्ट किया गया कि यदि पंचायत

सदस्य द्वारा एक ही दिनांक को दो जगह हाजरी लगाने का प्रकरण सामने आता है तो ऐसे में वार्ड सदस्य के विरुद्ध धन राशि की वसूली सहित निलम्बन तथा पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सदस्य द्वारा ग्राम पंचायत बैठक व मनरेगा मस्ट्रोल में एक ही दिन दोहरी हाजरी का लाभ **निम्नानुसार** अर्जित किया गया था, जोकि उक्त पत्र के दिशा- निर्देशों की स्पष्ट उलंघना है | अत: जिस बारे औचित्य यथा शीघ्र अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाए |

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम**	**मस्ट्रोल संख्या / अवधि**	**निर्माण कार्य का नाम**	**मस्ट्रोल/ पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि**	**मानदेय के रूप में भुगतान की राशि**	**मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान कीई गई राशि**
1	श्री केसर सिंह	1693 (01.07.24 to 15.07.24	R/W h/o kesar singh Dhanu ram	10.07.24	750	300
2	श्री केसर सिंह	6874 (16.12.24 to 30.12.24)	Fruits plantation & maintenance work boul upperly	25.12.24	750	300
3	श्री बक्शीश सिंह	6301 (01.12.24 to 15.12.24)	C/O Link road main road to harijana abadi bhajan lal, shadi lal	10.12.24	750	300
4	श्री बक्शीश सिंह	7692 (01.01.25 to 15.01.25)	do	10.01.25	750	300
5	श्री मोहिंदर पाल	5424 (01.11.24 to 15.11.24)	RWHT Mohinder Pal S/o Gurdev chand	11.11.24	750	300
6	श्री मोहिंदर पाल	5773 (16.11.24 to 30.11.24)	do	25.11.24	750	300
				योग	**4500**	

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 590/2025 दिनांक 08/09/2025 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पत्र संख्या शून्य दिनांक 09/09/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि **₹4500** की वसूली रसीद संख्या 26377 से 26379 दिनांक 08/09/2025 द्वारा सम्बन्धित से कर ली गई है| जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पासबुक से अंकेक्षण दौरान कर ली गई है |

8.3 स्व: स्त्रोत निधि से ₹0.01 लाख का अनियमित / अधिक भुगतान करने बारे:-

पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के माह 08/2024 में व्यय वाउचरों की जांच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्व: स्त्रोत निधि से वाउचर संख्या P/8 व P/9 द्वारा विज्ञापन पर **₹6250** का भुगतान किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में वर्णित Appendix-"A" के क्रम संख्या 13 अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल **₹5000** तक का भुगतान ही एक वित्तीय वर्ष में विज्ञापन पर किया जा सकता है अर्थात ग्राम पंचायत द्वारा **₹1250.00** का अधिक भुगतान विज्ञापन के रूप में किया गया | उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 588/2025 दिनांक 08/09/2025 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया । प्रत्युत्तर में पत्र संख्या शून्य दिनांक 09/09/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि **₹1250** की वसूली रसीद संख्या 26380 दिनांक 08/09/2025 द्वारा सम्बन्धित से कर ली गई है | जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पासबुक से अंकेक्षण दौरान कर ली गई है |

9 स्त्रोत पर ₹0.21 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा

उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "ङ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹1058760** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹21176.00** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**फर्म / व्यक्ति का नाम**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि**	**योग**	**जी.एस.टी.टी. डी.एस. की कटौती योग्य राशि (2%)**
1	2024-25	M/s Ojas Blocks & Flyash Bricks vill. Baruhi	पेवर/ ब्लॉक्स	1058760.00	1058760.00	21176.00
				योग	**1058760.00**	**21176.00**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 589/2025 दिनांक 08/09/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या शून्य दिनांक 09/09/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹21176.00** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

10 ₹12.81 लाख के व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माह 05/2024 मे विभिन्न शीर्षों से करवाए गए कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **निम्न विवरणानुसार ₹1280670.00** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, 34 नंबर फार्म, प्राक्कलन, मूल बिल,

तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण अधियाचना संख्या 586/2025 दिनांक 08/09/2025 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 09/09/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि	टिप्पणी
1	मनरेगा	C/O L/R Om parkash to Jatta Tarkhana Boul	शून्य	8300 (01.03.24 to 15.03.24)	मजदूरी	16560	माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। MB. No. 30882 Page no. 24
2	मनरेगा	C/O Link Road abadi Harijana, Raj Kumar, Banta	शून्य	1652 10.10.23	Steel, Pvc Pipes	10858	माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।
3	मनरेगा	C/o Link Road main road to gurcharan singh	शून्य	1650, 1655 12.01.24, 3954-55, 3957-59, 3961-66 13-01.25-25.01.25	Steel, Pvc Pipes, Paver/ blocks	504402	प्रस्ताव संख्या, 34 नंबर फार्म, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।
4	मनरेगा	C/O L/R OM PARKASH TO JATTAN TARKHANA	शून्य	3956 15.01.24	PAVER BLOCKS	16000	यथोपरि
5	मनरेगा	C/O L/R ABADI JATTAN RAJPUTTAN	शून्य	1046-49 23.12.23, 1680 02.02.24	PAVER BLOCKS, Steel, PVC Pipes	172850	माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।
6	मनरेगा	C/O L/R MOKSHDHAM COMMUNITY CENTER TO MAHINDER SINGH	शून्य	3919-20, 3922-24, 3926-29, 3931-33 01.12.23-17.12.23	Paver/blocks	560000	प्रस्ताव संख्या, 34 नंबर फार्म, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।
					योग	**1280670**	

11 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 576/2025 दिनांक 06/09/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 09/09/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	बिल रजिस्टर	13	48
12	रसीद बूकों का स्टॉक रजिस्टर	4	5(5)

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 575/2025 दिनांक 06/09/2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 09/09/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद

प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

14 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 18.11.25
सहायक निदेशक,
18 NOV 2025 हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
7115 – 7119 का0/प्रति दूरभाष–0177–2626670

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)08/2016–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

18 NOV 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 18.11.25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
का0/प्रति

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या 4.1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3868003.06	7490865	11358868.06	6188253	5170615.06

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Momaniar
Teh. Bangana Distt. Una (H.P.)

~~19~~ 18

ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 14वां व 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3868003.06	3288811	7156814.06	1986199	5170615.06

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 14वां व 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1300276.6	15,29,064	2829340.6	9,67,332	1862008.6

1 (b) 14वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	9295.46	0	9295.46	0	9295.46

1 (c) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2558431	17,59,747	4318178	10,18,867	3299311

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Momaniar
Teh. Bangana Distt. Una (H.P.)

19

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या 4.1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3868003.06	7490865	11358868.06	6188253	5170615.06

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Momaniar
Teh. Bangana Distt. Una (H.P.)

~~19~~ 18

ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 14वां व 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3868003.06	3288811	7156814.06	1986199	5170615.06

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 14वां व 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1300276.6	15,29,064	2829340.6	9,67,332	1862008.6

1 (b) 14वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	9295.46	0	9295.46	0	9295.46

1 (c) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2558431	17,59,747	4318178	10,18,867	3299311

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Momaniar
Teh. Bangana Distt. Una (H.P.)

~~20~~ 19

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	4202054	4202054	4202054	0

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Momaniar
Teh. Bangana Distt. Una (H.P.)

20

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	5170615.06
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1 अनुसार)**	**5007254.06**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	674.00
4)	**योग (2+3)**	**5007928.06**
5)	**अन्तर (1-4)**	**162687.00**
रोकड़ बहियों व बैंक शेष अनुसार अंतर		
स्व: स्त्रोत व अनुदान (14वें व 15वें वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त (समेकित) रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		316590.54
14वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		8248.46
15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		162152
कुल अंतर (316590.54+8248.46-162152)		**162687.00**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Momaniar
Teh. Bangana Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट क-1 पैरा संख्या 4.1 (क) के सन्दर्भ में

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB BANGANA (Own &GIA)	20034024194	270813.06
	KCCB BANGANA (PLANING)	20034056206	1092937.00
	KCCB THANAKALAN (PMGAY)	50070790015	180994.00
	PNB KHURWAIN (15th FC)	2661000100071732	3461463.00
	KCCB THANAKALAN (14TH FC)	50068277892	1047.00
		योग	**5007254.06**
2		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	674.00
		योग (1+2)	**5007928.06**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Momaniar
Teh. Bangana Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट "ख"　　　　　　　　पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	38080	13120	51200	40	51160

नोट :-- ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक गृहकर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जिससे प्रारम्भिक शेष के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण दौरान सम्भव नहीं हो पाई है |

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Momaniar
Teh. Bangana Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट "ज" पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक दुकान किराये की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	0	18000	18000	9600	8400

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Momaniar
Teh. Bangana Distt. Una (H.P.)

List of outstaning shop rent period 4/2024 to 3/2025 in Gram panchayat Momniar Bolck Bangana

Sr.No	shop no	Name of Tenant	opening Balance	Demand during the year	Total	collection during the year	closing Balance
1	1	Jawant singh	0	8400	8400	0	8400
2	2	shiv lal	0	4800	4800	4800	0
3	3	shiv lal	0	4800	4800	4800	0
		Total	0	18000	18000	9600	8400

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Momaniar
Teh. Bangana Distt. Una (H.P.)

26 2025

परिशिष्ट 45 पैरा संख्या 7.3, 7.4 के सन्दर्भ में

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि का विवरण

ग्राम पंचायत मोमन्यार

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गयी राशि	कम वसूली गई राशि
1	ऋषिमनु सपुत्र अवतार सिंह	03.03.2024	09.04.2024	26318	400	400	0
2	मनोज कुमार सपुत्र किशन चंद	06.03.2024	09.04.2024	26319	400	400	0
3	रोहित कुमार सपुत्र कर्म चंद	18.04.2024	25.04.2024	26320	200	200	0
4	सोनी कुमार सपुत्र आत्मा सिंह	18.04.2024	25.04.2024	26321	200	200	0
5	यशप्रीत सिंह सपुत्र सतनाम सिंह	18.04.2024	25.04.2024	26322	200	200	0
6	राजीव कुमार सपुत्र ज्ञान चंद	16.04.2024	25.04.2024	26323	200	200	0
7	राजेश कुमार सपुत्र बालक राम	11.10.2024	23.10.2024	26343	200	200	0
8	अमित कुमार सपुत्र ब्रह्म दास	11.10.2024	24.10.2024	26344	200	200	0
9	सौरभ ठाकुर सपुत्र अशोक कुमार	07.10.2024	29.10.2024	26345	200	200	0
10	रामेश्वर शर्मा सपुत्र रमेश चंद	03.11.2024	14.11.2024	26348	200	200	0
11	आशीष सिंह सपुत्र सुरजीत सिंह	09.11.2024	18.11.2024	26349	200	200	0
12	प्यार चंद सपुत्र कर्म चंद	03.11.2024	27.11.2024	26352	200	200	0
13	विशाल कुमार सपुत्र कर्म चंद	19.11.2023	03.12.2024	26353	400	400	0
14	राहुल कुमार सपुत्र गुरमेल सिंह	05.12.2024	10.12.2024	26354	200	200	0
15	मुकेश सपुत्र कर्म चंद	06.12.2024	02.01.2025	26355	200	200	0

~~27~~ 28

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Momaniar
Teh. Bangana Distt. Una (H.P.)

16	निरंजन कुमार सपुत्र प्रकाश चंद	17.01.2025	30.01.2025	26358	200	200	0
17	अभिषेक राणा सपुत्र कुलदीप सिंह	21.01.2025	10.02.2025	26361	200	200	0
18	राजन कुमार सपुत्र प्रकाश चंद	15.02.2025	25.02.2025	---	200	---	200
				योग	**4200**	**4000**	**200**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Momaniar
Teh. Bangana Distt. Una (H.P.)

-28- 26 27

परिशिष्ट ड· पैरा संख्या 9 के सन्दभ में

ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा जिला ऊना (हि० प्र०)

माह 05/24 में M/s Ojas Blocks & Flyash Bricks vill. Baruhi से पेवर/ ब्लॉक्स के क्रय हेतु किये गए भुगतान की सूचि

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बिल संख्या	दिनांक	राशी (GST को छोड़कर
1	मनरेगा	3954	12-01-2024	41520.00
2	मनरेगा	3955	13-01-2024	41520.00
3	मनरेगा	3957	15-01-2024	41520.00
4	मनरेगा	3958	16-01-2024	41520.00
5	मनरेगा	3959	17-01-2024	41520.00
6	मनरेगा	3961	19-01-2024	41520.00
7	मनरेगा	3962	20-01-2024	41520.00
8	मनरेगा	3963	22-01-2024	41520.00
9	मनरेगा	3964	23-01-2024	41520.00
10	मनरेगा	3965	24-01-2024	41520.00
11	मनरेगा	3966	25-01-2024	13840.00
12	मनरेगा	3960	10-02-2024	41520.00
13	मनरेगा	3667	12-02-2024	41520.00
14	मनरेगा	3956	15-01-2024	13840.00
15	मनरेगा	3952	12-01-2024	48440.00
16	मनरेगा	3919	01-12-2023	41520.00
17	मनरेगा	3920	02-12-2023	41520.00
18	मनरेगा	3922	04-12-2023	41520.00
19	मनरेगा	3923	05-12-2023	41520.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Momaniar
Teh. Bangana Distt. Una (H.P.)

20	मनरेगा	3924	06-12-2023	41520.00
21	मनरेगा	3926	08-12-2023	41520.00
22	मनरेगा	3927	10-12-2023	41520.00
23	मनरेगा	3928	12-12-2023	41520.00
24	मनरेगा	3929	13-12-2023	41520.00
25	मनरेगा	3931	15-12-2023	41520.00
26	मनरेगा	3932	16-12-2023	41520.00
27	मनरेगा	3933	17-12-2023	27680.00
			योग	**1058760.00**

O/C

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Momaniar
Teh. Bangana Distt. Una (H.P.)

~~28~~ 29

— ~~30~~ —